दिनांक 14 जुलाई, 1986

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/155-85/24513.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० अर्जुन उद्योग प्लाट नं० 120, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री गिरजा सिंह मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, 50 नीलम चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम 68/15554 दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गिरजा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 15 जुलाई, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/231-84/24958.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० रतन चन्द हरजस राय (मोल्डिंग) प्रा० लि०, 54 इन्डस्टीयल, ऐरिया फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रसादी लाल, पुत्र श्री मूला राम मकान नं० 244, ब्रह्मण बाड़ा वार्ड नं० 5, बल्लबगढ़, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ?

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जन, 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री प्रसादी लाल की सेवा समाप्ति उचित ढंग से की गई है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 15 जुलाई, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/34-86/24965.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० फरीदाबाद फोर्जिंग प्रा० लि०, प्लाट नं० 6 फरीदाबाद, के श्रमिक श्री ब्रमा सिंह, पुत्र श्री श्रीपाल मार्फत एम० एस० पन्नू, मकान नं० 1818, सैक्टर 7, फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68-15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद का विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ब्रमा सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र दे कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरुप वह किस राहत का हकदार है ?